रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 5, 2009/वैशाख 15, 1931
No. 265] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 5, 2009/VAISAKHA 15, 1931

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2009

सा.का.नि. 309(अ).— राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (केन्द्रीय परिषद) नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारुप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42)की धारा 31 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 134 (अ) तारीख 27 फरवरी, 2009 के द्वारा भारत के राजपत्र (अ) भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 27 फरवरी, 2009 में प्रकाशित किए गए थे जिसमें उन सभी व्यक्तियों से. जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से, जिसके उस राजपत्र में अन्तर्विष्ट प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की राजपत्र में अन्तर्विष्ट प्रतियां जनता को 27 फरवरी, 2009 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उल्लिखित विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तावित प्रारुप नियमों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसे आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005(2005 का 42) की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :

1. सक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का ,सक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी (केन्द्रीय परिषद) संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी (केन्द्रीय परिषद) नियम, 2006 में,-
(1) नियम 3 के उपनियम (1) में,-

(i) खंड (ख) के उपखंड (ix) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(x) प्रधानमंत्री कार्यालय का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो.....सदस्य ।

(xi) विधि और न्याय मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो .....सदस्य

(xii) श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो .....सदस्य ।"

(ii) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

" (ङ) राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनमें से -

i) एक कार्य के किसी क्षेत्र, जैसे की अधिनियम की अनुसूची - 1 के अधीन सूचीबद्ध या अधिसूचित जल संरक्षण, भूमि विकास, वनरोपण और वृक्षरोपण तथा ग्रामीण अभियन्त्रिकी में विशेषज्ञ होगा ;

ii) एक सामाजिक लेखा परीक्षा में विशेषज्ञ होगा ;

iii) एक मजदूरी रोजगार में विशेषज्ञ होगा ;

iv) एक प्रिन्ट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में विशेषज्ञ होगा ;

v) एक जलवायु परिवर्तन में विशेषज्ञ होगा ;

vi) एक अभिसरण में विशेषज्ञ होगा ;

vii) एक विधि में विशेषज्ञ होगा ; और

viii)एक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञ होगा ;

(2) नियम (4) में उपखंड (3) और उपखंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(3) नियम (3) के उपनियम (1) के खंड (घ) और खंड (ङ) के उपखंड (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट केन्द्रीय परिषद के प्रत्येक गैर सरकारी सदस्य, जो राजपत्र में अपनी नियुक्ति के प्रकाशन की उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(4) नियम (3) के उपनियम (1) के खंड (घ) और खंड (ङ) के उपखंड (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट गैर सरकारी सदस्य पुनःनामनिर्देशन के लिए पात्र होंगे :

परंतु यह कि इस उपनियम और उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति किसी भी दशा में तीन वर्ष से अधिक के लिए पद धारण नहीं करेगा ।"

[फा. सं. जे-11013/1/2009-एनआरईजीए]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र की अधिसूचना सं सा.का.नि. 311(अ) तारीख 25 मई, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2009

G.S.R. 309(E).— Whereas certain draft rules to amend the National Rural Employment Guarantee (Central Council) Rules, 2006 were published as required by sub-section(1) of section 31 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005(42 of 2005), vide notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development number G.S.R.134(E), dated the 27th February, 2009 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 27th February, 2009 inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date of on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 27th February, 2009;

And whereas, no objections or suggestions have been received by the Central Government in respect of the proposed draft rules within the period so specified ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 31 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the National Rural Employment Guarantee (Central Council) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Rural Employment Guarantee (Central Council) Rules, 2006,-

(1) in rule 3 ,in sub- rule(1),-

(i) in clause (b), after sub-clause (ix),the following sub-clauses shall be inserted, namely:-

"(x) one representative of the Prime Minister's Office not below the rank of Joint Secretary .... member.

(xi) one representative of the Ministry of Law and Justice not below the rank of Joint Secretary ..... member.

(xii) one representative of the Ministry of Labour and Employment not below the rank of Joint Secretary ..... member" ;

(ii) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

"(e) eight members representing the States to be nominated by the Central Government of whom –

(i) one shall be an expert in areas of works such as water conservation, land development, afforestation and plantation and rural engineering and any other work , listed or notified under Schedule I of the Act;

(ii) one shall be an expert in social audit;

(iii) one shall be an expert in wage employment;

(iv) one shall be an expert in print or electronic media;

(v) one shall be an expert in climate change;

(vi) one shall be an expert in convergence;

(vii) one shall be an expert in law; and

(viii) one shall be an expert in communication and information technology";

(2) in rule 4, for sub-rules (3) and (4), the following sub-rules shall respectively be substituted, namely:-

"(3)Every non-official member of Central Council nominated under sub-clause (i) of clause (d) and clause (e) of sub-rule (1) of rule 3 shall hold his office for a term of one year at a time from the date of publication of his appointment in the Official Gazette.

(4) The non-official members nominated under sub-clause (i) of clause (d) and clause (e) of sub-rule (1) of rule 3 shall be eligible for re-nomination:

Provided that no person referred to in this sub-rule and in sub-rule(3) shall hold office for more than three years in any case."

[F. No.J-11013/1/2009-NREGA]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India *vide* Notification Number G.S.R. 311(E), dated the 25th May, 2006.

1701 GI/09-2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.